न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—346/2014/223 आर.टी.एक्ट (2014/00134)

1. शम्भूदयाल पुत्र नन्दा तेली निवासी तेली मोहल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. महावीर पुत्र भूरालाल
2. जगदीश पुत्र भूरालाल
3. बजरंग पुत्र भूरालाल
4. लाडा पुत्री भूरालाल
5. ग्यारसी पुत्री भूरालाल
6. कान्ता पुत्री भूरालाल
7. हनुमान पुत्र भूरालाल
   समस्त जाति तेली निवासीगण तेली मोहल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. सत्यनारायण पुत्र नन्दा जाति तेली निवासी तेली मोहल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. प्रेम पुत्री नन्दा पत्नी चांदमल तेली बडा कुआ के पास टोंक।
10. रामू पुत्री नन्दा पत्नी रामदेव तेली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
11. पारसी पुत्री नन्दा पत्नी ओमप्रकाश तेली निवासी केकडी।
12. छोटूलाल पुत्र मांगीलाल कुमावत निवासी केकडी।
13. विनोद कुमार पुत्र नाथूलाल सिंधी सेवकरमानी निवासी केकडी।
14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 57/2009.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3, 7
3. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 13
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 14
5. रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6, 8 से 12 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—16.12.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 57/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 209, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 57/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6, 8 से 12 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलान्टस वादग्रस्त आराजीयात पर सदभाविक काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त है जिन्हें पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.14 बाबत पूर्व में जानकारी नहीं रही है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजीयात के नापचोप किये जाने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की अमल दरामद किये जाने हेतु अवगत कराये जाने पर अपीलण्ट द्वारा उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर विधिक सलाह अनुसार अजमेर आकर अपना अधिवक्ता नियुक्त कर उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः पारित शून्य डिक्री के विरूद्ध प्रथमतः मियाद निर्धारित नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र पृथक मियाद कण्डोन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे स्वीकार कर अपील को मियाद अन्दर माना जाकर गुणागुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट वादग्रस्त आराजीयात पर सदभाविक काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त है जिन्हें पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.14 की जानकारी नहीं रही है। अपील को मियाद अन्दर माना जाकर गुणागुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी गरीब काश्तकार व्यक्ति है जो कि स्वयं की खातेदारी की आराजीयात पर काश्त कर अपना जीवन यापन कर रहे है। प्रार्थी जानकारी की दिनांक से सदभाविक रूप से यह अपील प्रस्तुत कर रहे है। उपरोक्त वर्णित कारण युक्तियुक्त एंव संदभाविक है प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझ कर देरी नहीं की गई हैं यदि विलम्ब को क्षम्य कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होंगी। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में

समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

आर0बी0जे (13)2006

INDIAN LIMITATION ACT, 1963- **section 5- When substantial question of law involved in appeal, delay condoned.**

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 7 द्वारा राजस्व वाद खातेदारी घोषणा एवं विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 988 रकबा 0.65 हैक्टेयर खसरा संख्या 4244 रकबा 0.68 हैक्टेयर आराजीयात जिसके पुराने खसरा नं0 30, 31 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा थे जो कि अब्दुल शकुर पिता सुल्तान के नाम खातेदारी में दर्ज थी जिसको जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र सन 1960 में वादीगण/रेस्पोडेण्ट सं० 1 लगायत 7 भूरालाल पुत्र नाथू ने खरीद की जिसका नामान्तकरण संख्या 592 दिनांक 09.12.93 को वादीगण के पिता के नाम दर्ज हो गया। जमाबन्दी संवत्त 2064 में वादीगण के पिता के बजाय अपीलाण्ट्स के पिता नन्दा पुत्र नाथू के नाम उक्त आराजीयात दर्ज हो गई जबकि नामान्तकरण सं० 592 वादीगण के पिता के नाम पर है। वादीगण के पिता भूरालाल व अपीलाण्ट के पिता नन्दा एक ही परिवार के सदस्य सगे भाई है जिनके द्वारा उक्त आराजीयात में समान हिस्सा मान लिया एवं आराजी खसरा सं0 4244 का सम्पूर्ण रकबा वादीगण का व 988 का सम्पूर्ण रकबा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं० 8 लगायत 11 के पिता का रखा गया एवं उसी अनुसार मौके पर कब्जे काश्त में है। खसरा सं० 988 का आधा हिस्सा रेस्पोडेण्ट सं० 8 द्वारा रेस्पोडेण्ट सं० 12 को बेचान कर दिया व रेस्पोडेण्ट सं० 12 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 13 के पक्ष में बेचान किया गया है। अतः उक्त अनुसार वादीगण रेस्पोडेण्ट स० 1 लगायत 7 में वादग्रस्त आराजीयात में 4244 सम्पूर्ण का खातेदार घोषित किया जाकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी सं० 2 को 988 के आधे हिस्से व रेस्पोडेण्ट सं० 13 को

आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें एवं उक्त अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में असल दरामद किया जावें। उक्त प्रस्तुत राजस्व वाद का जवाब रस्पोडेण्ट सं० 8 द्वारा अपीलाण्ट के हस्ताक्षर अनभिज्ञता में रखे जाकर धोखे से कराये जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर राजस्व वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर प्रकरण को वास्ते वादी साक्ष्य हेतु पेशी दिनांक 20.02.14 को नियत किया एवं उक्त पेशी से पूर्व ही बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये दिनांक 12.02.14 को वादी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर वादपत्र को प्रस्तुती अनुसार डिक्री किये जाने बाबत आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने में त्रुटि कारित की गई है जो की प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजीयात जो की अपीलान्ट के पूर्वज नन्दा वल्द नाथू की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात रही है जिनकी मुत्यु उपरान्त अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं० 8 लगायत 11 के नाम अंकन किया गया है। रेस्पोडेण्ट सं० 9 लगायत 11 द्वारा अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट सं० 8 के पक्ष में हक त्याग किये जाने के उपरान्त रेस्पोडेंट सं० 8 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत बयनामा निष्पादित किया जा चुका है अर्थात एकमात्र अपीलाण्ट उक्त आराजीयात में बेहैसियत खातेदार काबिज है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 7 द्वारा राजस्व वाद उक्त आराजीयात को स्वयं के पिता द्वारा क्रय करना वर्णित करते हुये प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 निर्मित की गई किन्तु प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत फर्जकारी रूप से अपीलान्ट की उपस्थिति का अंकन जो की रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 7 द्वारा कराया गया है सहमति वर्णित करते हुए वैधानिक प्रावधानों के विपरीत राजस्व वाद डिक्री किये जाने के आदेश पारित किये गये है जो की निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 7 द्वारा फर्जकारी कर अपीलान्ट के पूर्वज की खातेदारी की आराजीयात को हड़पने की नियत से प्रस्तुत राजस्व बाद में रेस्पोडेण्ट सं० 8 व अन्य से मिलीभगत कर अपीलाण्ट को धोखे में रखकर स्वीकृत युक्त जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा बिना पक्षकारान के साक्ष्य लिये बिना दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित कराये नियत दिनांक से पूर्व प्रकरण को रेस्पोडेण्ट सं० 1 लगायत 7 के निवेदन पर पेशी पर लिये जाकर डिक्री किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स सं० 8 लगायत 11 के पूर्वज जिनकी खातेदारी की आराजीयात को किसी भी प्रकार से राजस्व अभिलेख में रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है ना ही उक्त बाबत बेचाननामा किया जा सकता है। अपीलान्ट की आराजीयात को रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 लगायत 7 द्वारा हड़प करने की नियत से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से मिलीभगत कर उक्त आराजीयात बाबत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार फरमाये जाने में त्रुटि कारित की गई है जो की निरस्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि द्वारा बाधित है। स्वयं वादीगण द्वारा एकतरफ उक्त आराजीयात को एकमात्र स्वयं के पिता द्वारा खरीद करना वर्णित किया है। द्वितीयतः उनके द्वारा उक्त आराजीयात को वादीगण स्वयं के पिता व अपीलाण्ट के पिता द्वारा बराबर–बराबर काश्त करने के आधार पर उक्त अनुसार आधे–आधे की डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है जो कि राजस्व अभिलेख के विपरीत है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त संदर्भ में किसी प्रकार का जवाबदावा स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है ना ही किसी प्रकार की सहमति प्रदान की गई है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की खातेदार की आराजीयात बाबत बिना किसी आधार के रेस्पोडेण्ट सं० 1 लगायत 7 को खातेदार घोषित किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। अपीलान्टस वादग्रस्त

आराजीयात पर सदभाविक काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त है जिन्हें पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.14 बाबत पूर्व में जानकारी नहीं रही है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजीयात के नापचोप किये जाने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की अमल दरामद किये जाने हेतु अवगत कराये जाने पर अपीलण्ट द्वारा उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर विधिक सलाह अनुसार अजमेर आकर अपना अधिवक्ता नियुक्त कर उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः पारित शून्य डिक्री के विरूद्ध प्रथमतः मियाद निर्धारित नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र पृथक मियाद कण्डोन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे स्वीकार कर अपील को मियाद अन्दर माना जाकर गुणागुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 57/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2014 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी की वाद वर्णित भूमि कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत 2061 से 2064 के खाता नम्बर 840 में अंकित खसरा नम्बर 988 रकबा 0.65 है0 बारानी उत्तम, खसरा नम्बर 4244 रकबा 0.68 बारानी उत्तम भूमि उक्त जमाबंदी में नंदा पुत्र नाथू कौम तेली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज थी। उक्त खसरा नम्बर 988 व 4244 के वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता नम्बर 31 में मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के पुराने खसरा नम्बर 3031 रकबा 8–4–0 है। जो अब्दुल शकूर वल्द सुल्तान कौम मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम दर्ज थी। उपरोक्त भूमि जरिए बेचान से भूरा वल्द नाथू तेली सा0देह खातेदार के नामांतरकरण संख्या 592 दिनांक 09.12.1993 जरिए भू0 प्रबंधक निरीक्षक के आधार पर स्वीकार किया गया। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत 2061–64 में वादीगण के पिता के बजाय प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता के नाम नंदा पुत्र नाथू के नाम दर्ज हो गई। जिसके कारण वादी को यह वाद वास्ते बंटवारा हेतु पेश करना पडा। अतः वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 4244 में वादीगण को तथा खसरा नम्बर 988 का संपूर्ण रकबे का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उसका हिस्सा बेचान कर देने से विलोपित किया जाकर वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 209, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.10.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। दिनांक 15.04.2011 को न्यायालय में

वादी अभिभाषक उपस्थित नहीं होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। तत्पश्चात वादी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते बरामद किए जाने वाद हेतु दिनांक 09.05.2011 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2011 को स्वीकार कर पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जाकर दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 23.08.2011 को प्रतिवादी संख्या 6 का पावर पेश नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 स्वीकार कर उक्त प्रार्थना पत्र की पालना में वादीगण द्वारा दिनांक 24.10.2011 को संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 06.03.2012 को प्रतिवादी संख्या 7 का जवाब प्रस्तुत नहीं होने से उनका जवाब बंद किया गया। दिनांक 20.03.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 15.01.2014 को प्रकरण में तनकीयात कायम कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा निवेदन किए जाने पर पत्रावली को नियत दिनांक 20.02.2014 से पूर्व दिनांक 12.02.2014 में पत्रावली को लोक अदालत में नियत करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 12.02.2014 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित कर प्रकरण में डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 988 रकबा 0.65है0, खसरा संख्या 4244 रकबा 0.68है0 आराजीयात जिसके पुराने खसरा नम्बर 3031 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा थे जो कि अब्दुल शकुर पिता सुल्तान के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी/रेस्पोडेंट द्वारा खसरा नम्बर 4244 में वादीगण/रेस्पोडेंट को तथा खसरा नम्बर 988 के आधे हिस्से का अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार/काश्तकार घोषित किए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में मात्र एक तनकीयात कायम की गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत थी। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2014 नियत की गई परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में नियत करते हुए तनकी पर साक्ष्य लिए बिना ही प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर उक्त तनकी पर बिना कोई साक्ष्य लिए ही तनकी का संक्षिप्त तौर पर बिना विवेचन किए ही प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया।

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण में ट्रायल होने के पश्चात ही दावे को निस्तारित किया जाता है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं कर प्रकरण को निर्धारित दिनांक से पूर्व नियत कर वाद का निस्तारण किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/रेस्पोडेंट को नियत किया गया। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी के संदर्भ में अपीलांट/प्रतिवादीगण के बारे में उल्लेखित किया गया कि अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को सिद्ध करने हेतु अन्य कोई जमाबंदी या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा मात्र प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जबकि रेस्पोडेंट/वादी द्वारा उक्त आराजीयात को जरिए सेलडिड क्रय किया जाना बताया गया तो वादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में रजिस्टर्ड दस्तावेजात प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत अपीलांट/प्रतिवादीगण को कहा गया जबकि उक्त तनकी को सिद्ध करने का संपूर्ण भार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को दिया गया था। इन समस्त

तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकारान से साक्ष्य लिए बिना दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित कराए नियत दिनांक से पूर्व प्रकरण को नियत कर प्रकरण का बिना गुणावगुण पर अवलोकन किए ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बिना साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए पारित किया गया है जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2014 में त्रुटि कारित हुई है, अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 57/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2014 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर दावे व जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयां निर्मित कर तनकीयों पर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.01.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर